

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 298/2022 दायर दिनांक 20.07.2022

वादीगण

1. पेमाराम पुत्र भूराराम
2. सोहनी धर्मपत्नि पेमाराम
3. मेघराज पुत्र पेमाराम
4. रूपाराम पुत्र पेमाराम
समस्त जाति जाट
निवासी डाबड़ा तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राज0।

प्रतिवादीगण

1. कंवरी देवी धर्मपत्नि रामेश्वर लाल
2. ग्यानाराम पुत्र गोमाराम
3. भागीरथराम पुत्र रामेश्वर लाल
4. तुलछी देवी धर्मपत्नि भागीरथ राम
5. चन्द्री देवी धर्मपत्नि ग्यानाराम
समस्त जाति जाट निवासी डाबड़ा
तहसील डीडवाना जिला नागौर
राज0
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
शाखा मौलासर तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0।
7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
शाखा धनकोली तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0।
8. आईसी आईसी आई बैंक लिमिटेड
शाखा डीडवाना तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0
9. आईसी आईसी आई बैंक लिमिटेड
शाखा कुचामन तहसील नांवा
जिला नागौर राज0।
10. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत
बंटवारा, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88 R.T.Act.

उपस्थित:-


1. श्री मुकेश कुमार थोरी वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 04.10.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 1169/576 रकबा 1.0100 हैक्टे0, तथा खसरा सं0 575 रकबा 4.3400 हैक्टे0, खसरा सं0 585 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 586 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 587 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 588 रकबा 0.5000 हैक्टे0, खसरा सं0 589 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 590 रकबा 10.1400 हैक्टे0 कुल खसरा सं0 6 कुल रकबा 10.7200 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 578 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 579 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 580 रकबा 2.0700 हैक्टे0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.1800 हैक्टे0 वाके सरहद डाबड़ा तहसील डीडवाना पटवार हल्का डाबड़ा में अवस्थित भूमि में पक्षकारान ने आपसी सहमति व पारिवारिक समायोजन व काश्त की सुविधानुसार मौके पर मौखिक बंट कर रखा है तथा उसी अनुरूप कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपने-अपने हिस्से पर अलग-अलग नीवें-सीवें बना रखी है। संयुक्त खातेदारी दर्ज होने के कारण काश्त समय पक्षकारान के मध्य सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें इसलिये वाद श्रीमान के समक्ष पेश है।




सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)




प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:-

1. यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के मध्य बंटवारा बाईमिट्स एण्डस बाउण्डस किया जाकर वाकै सरहद ग्राम डाबड़ा में अवस्थित खेत खसरा सं० 1169/576 रकबा 1.0100 हैक्टे० भूमि में से पश्चिमी भाग में 0.3367 हैक्टे० भूमि जिसकी उत्तर से दक्षिण लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम घोषित की जावें तथा इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी की जावें।
2. यह है कि खसरा सं० 575 रकबा 4.3400 हैक्टे० भूमि में से पूर्वी भाग में 1.4467 हैक्टे० भूमि जिसकी उत्तर से दक्षिण लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादी सं० 02 के नाम घोषित की जावें तथा इसी आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी की जावें।
3. यह है कि खसरा सं० 578 रकबा 0.1000 हैक्टे०, खसरा सं० 579 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 580 रकबा 2.0700 हैक्टे० कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.1800 हैक्टे० भूमि में से खसरा सं० 578 रकबा 0.1000 हैक्टे० भूमि सम्पूर्ण, खसरा सं० 579 रकबा 0.0100 हैक्टे० भूमि सम्पूर्ण तथा खसरा सं० 580 रकबा 2.0700 हैक्टे० भूमि में से उत्तरी भाग में 0.6167 हैक्टे० भूमि जिसकी पूर्व से पश्चिम लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, इस प्रकार कुल 0.7267 हैक्टे० भूमि की खातेदारी वादी सं० 01 के नाम घोषित की जावें तथा इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी की जावें।
4. यह है कि खसरा सं० 585 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 586 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 587 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 588 रकबा 0.5000 हैक्टे०, खसरा सं० 589 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 590 रकबा 10.1400 हैक्टे० कुल खसरा सं० 6 कुल रकबा 10.7200 हैक्टे० भूमि में से खसरा सं० 590 रकबा 10.1400 हैक्टे० भूमि में से दक्षिण भाग में 3.5733 हैक्टे० भूमि जिसकी पूर्व से पश्चिम लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादीगण सं० 3 व 4 के नाम घोषित की जावें तथा इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः इसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाइ जाती है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की सारगर्भित बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।



 सहायक कलेक्टर
 बीडवाना (नागौर)

—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डाबड़ा खेत खसरा सं० 1169/576, 575, 585, 586, 587, 588, 589, 590, तथा खसरा सं० 578, 579, 580 की भूमि में निम्नानुसार पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है।


1. वाकै सरहद ग्राम डाबड़ा खेत खसरा सं० 1169/576 रकबा 1.0100 हैक्टे० भूमि में से पश्चिमी भाग में 0.3367 हैक्टे० भूमि जिसकी उत्तर से दक्षिण लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम घोषित की जाती है।
2. खसरा सं० 575 रकबा 4.3400 हैक्टे० भूमि में से पूर्वी भाग में 1.4467 हैक्टे० भूमि जिसकी उत्तर से दक्षिण लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादी सं० 02 के नाम घोषित की जाती है।
3. खसरा सं० 578 रकबा 0.1000 हैक्टे०, खसरा सं० 579 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 580 रकबा 2.0700 हैक्टे० कुल खसरा 3.1800 हैक्टे० भूमि में से खसरा सं० 578 रकबा 0.1000 हैक्टे० भूमि सम्पूर्ण, खसरा सं० 579 रकबा 0.0100 हैक्टे० भूमि सम्पूर्ण तथा खसरा सं० 580 रकबा 2.0700 हैक्टे० भूमि में से उत्तरी भाग में 0.6167 हैक्टे० भूमि जिसकी पूर्व से पश्चिम लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, इस प्रकार कुल 0.7267 हैक्टे० भूमि की खातेदारी वादी सं० 01 के नाम घोषित की जाती है।
4. खसरा सं० 585 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 586 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 587 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 588 रकबा 0.5000 हैक्टे०, खसरा सं० 589 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 590 रकबा 10.1400 हैक्टे० कुल खसरा सं० 6 कुल रकबा 10.7200 हैक्टे० भूमि में से खसरा सं० 590 रकबा 10.1400 हैक्टे० भूमि में से दक्षिण भाग में 3.5733 हैक्टे० भूमि जिसकी पूर्व से पश्चिम लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादीगण सं० 3 व 4 के नाम घोषित की जाती है।

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेश मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S. (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को सरे इजलास में सुनाया

गया।


(कार्तिकेश मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S. (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इक्वादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 298/2022

दायर दिनांक 20.07.2022

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. पेमाराम पुत्र भूराराम	1. कंवरी देवी धर्मपत्नि रामेश्वर लाल
2. सोहनी धर्मपत्नि पेमाराम	2. ग्यानाराम पुत्र गोमाराम
3. मेघराज पुत्र पेमाराम	3. भागीरथराम पुत्र रामेश्वर लाल
4. रूपाराम पुत्र पेमाराम समस्त जाति जाट निवासी डाबड़ा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	4. तुलछी देवी धर्मपत्नि भागीरथ राम
	5. चन्द्री देवी धर्मपत्नि ग्यानाराम समस्त जाति जाट निवासी डाबड़ा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
	6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
	7. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
	8. आईसी आईसी आई बैंक लिमिटेड शाखा डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
	9. आईसी आईसी आई बैंक लिमिटेड शाखा कुचामन तहसील नांवा जिला नागौर राज0।
	10. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
बंटवारा, घोषणा खातेदारी एव स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88 R.T.Act.


दिनांक 04.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुददई श्री मुकेश कुमार थोरी वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश
होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डाबड़ा खेत
खसरा सं0 1169/576, 575, 585, 586, 587, 588, 589, 590, तथा खसरा सं0 578,
579, 580 की भूमि में निम्नानुसार पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता
है।

1. वाकै सरहद ग्राम डाबड़ा खेत खसरा सं0 1169/576 रकबा 1.0100 हैक्टे0
भूमि में से पश्चिमी भाग में 0.3367 हैक्टे0 भूमि जिसकी उत्तर से दक्षिण लम्बाई
है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, की खातेदारी
वादी संख्या 1 के नाम घोषित कि जाती है।
2. खसरा सं0 575 रकबा 4.3400 हैक्टे0 भूमि में से पूर्वी भाग में 1.4467 हैक्टे0
भूमि जिसकी उत्तर से दक्षिण लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी,
डी से दर्शाया गया है, की खातेदारी वादी सं0 02 के नाम घोषित की जाती है।
3. खसरा सं0 578 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 579 रकबा 0.0100 हैक्टे0,
खसरा सं0 580 रकबा 2.0700 हैक्टे0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.1800 हैक्टे0
भूमि में से खसरा सं0 578 रकबा 0.1000 हैक्टे0 भूमि सम्पूर्ण, खसरा सं0 579
रकबा 0.0100 हैक्टे0 भूमि सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 580 रकबा 2.0700 हैक्टे0
भूमि में से उत्तरी भाग में 0.6167 हैक्टे0 भूमि जिसकी पूर्व से पश्चिम लम्बाई है,
जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, इस प्रकार कुल
0.7267 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी वादी सं0 01 के नाम घोषित की जाती है।
4. खसरा सं0 585 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 586 रकबा 0.0100 हैक्टे0,
खसरा सं0 587 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 588 रकबा 0.5000 हैक्टे0,
खसरा सं0 589 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 590 रकबा 10.1400 हैक्टे0
कुल खसरा सं0 6 कुल रकबा 10.7200 हैक्टे0 भूमि में से खसरा सं0 590
रकबा 10.1400 हैक्टे0 भूमि में से दक्षिण भाग में 3.5733 हैक्टे0 भूमि जिसकी
पूर्व से पश्चिम लम्बाई है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया
गया है, की खातेदारी वादीगण सं0 3 व 4 के नाम घोषित की जाती है।
तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
 बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.10.2022 को सरे इजलास
 में जारी की गयी।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)